मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई–अगस्त, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 8 अगस्त, 2000 (श्रावण 17, 1922)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री नरेन्द्र नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार ऑप्टेल टेलीकम्युनिकेशन्स लिमिटेड का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री भूपेश बघेल, राज्यमंत्री परिवहन, रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन एक्ट, 1950 की धारा 35 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री रामप्रताप सिंह, पी.सी. शर्मा, सदस्य, विधान सभा में पारित विधेयकों को अधिनियमित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर विधि और विधायी कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र भारती (दतिया), सदस्य, राजघाट परियोजना की दतिया वाहक नहर की पुलिया गिरने से श्रमिकों की मौत होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री मदन गोपाल सिंह, सभापति, याचिका समिति का सत्रहवां, अठारहवां, उन्नीसवां, बीसवां एवं इक्कीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, सागर नगर स्थित शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन की मरम्मत एवं अतिरिक्त कमरे बनाये जाने,

(2) सुश्री कुसुमसिंह, सदस्य, पन्ना जिले के-

(क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवेन्द्र नगर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित कराये जाने; तथा

(ख) शासकीय माध्यमिक शाला बड़ा बाजार पन्ना का उन्नयन कराये जाने; एवं

(3) श्री रणवीर सिंह, सदस्य, शिवपुरी जिले के तहसील नरवर के ग्राम सड़ में पशु औषधालय खोले जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री पी.सी. शर्मा, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचना पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जावे".

-2-

7. वक्तव्य

(1) श्री दिग्विजय सिंह, मुख्यमंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी नीति के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, राज्यमंत्री सहकारिता, सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन हेतु निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(3) श्री रविन्द्र चौबे, सामान्य प्रशासन मंत्री, दिनांक 14 फरवरी, 2000 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्रमांक-489) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 24 सन् 2000) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री हजारीलाल रघुवंशी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री, मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 25 सन् 2000) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री तेजीलाल सरयाम, राज्यमंत्री कृषि, मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 26 सन् 2000) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय 30 मि.

(4) डॉ. गोविन्द सिंह, राज्यमंत्री सहकारिता, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 23 सन् 2000) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

9. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में सड़कों की जर्जर हालत से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा का पुनर्ग्रहण.

10. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

दिनांक 18 जुलाई, 2000 को गृह मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्रमांक-790) के उत्तर से उद्‌भूत विषय पर डॉ. कल्पना परूलेकर एवं श्री बनवारी लाल, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 7 अगस्त, 2000